

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

पत्रांक 33/NTCP/2013-210 (H.M)

राँची, दिनांक 01/10/18

अधिसूचना

तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, (FCTC) का वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभिपुष्टि की गयी है, अतः भारत FCTC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कृत संकल्पित है।


FCTC के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित स्वार्थों से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की लोक स्वास्थ्य नीतियों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जानी है।

अतः लोक स्वास्थ्य के हित में, डब्ल्यूएचओ के फ्रेमवर्क अन्वेषण ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC) के अनुच्छेद 5.3 के आलोक में, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से प्रधान सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति (Empowered Committee) का गठन किया जाता है जिसका स्वरूप निम्नांकित होगा : -

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड	अध्यक्ष
गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
वाणिज्यिक विभाग, झारखण्ड के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
विधि विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड	सदस्य सचिव
झारखण्ड सरकार के पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी	सदस्य
राज्य नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, झारखण्ड	संयोजक
राज्य परामर्शी, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, झारखण्ड	सदस्य

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तंबाकू उद्योग अथवा उसके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने में संलग्नक अनुलग्नक - क में दिए दिशा निर्देश एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो।

झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि इस विषय से संबंधित कोई भी मामला प्राप्त होते ही समिति के अध्यक्ष या सदस्य सचिव के संज्ञान में लाया जाए।

  
27/9/18  
प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग,  
झारखण्ड सरकार।

Cont...

झापांक: 210 (H.N) दिनांक: 01.10.18

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी आयुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राँची/महालेखाकार झारखण्ड, राँची/मुख्य आयकर आयुक्त, झारखण्ड राँची/आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद झारखण्ड राँची/सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के झारखण्ड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक/उक्त प्रबंधक/भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय झारखण्ड राँची/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आकशवाणी, राँची/दूरदर्शन राँची/मण्डल रेल प्रबंधक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग,  
झारखण्ड सरकार।

210  
झापांक: 210 (H.N)

दिनांक: 01.10.18

प्रतिलिपि :-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे एवं अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

प्रधान सचिव,  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं विभाग,  
झारखण्ड सरकार।